2809
17/11/2021

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)के नियंत्रणाधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु आवासीय उच्च विद्यालय, आवासीय (10+2) विद्यालय, एकलव्य एवं आश्रम विद्यालय संचालित हैं। वर्तमान में कुल विद्यालयों की संख्या 143 है, जिसमें पठन–पाठन हेतु कुल 25348 छात्र बल स्वीकृत हैं।

उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं इन्टर/मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण पठन–पाठन कार्य में आ रही बाधा के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 में निरूपित नियमों एवं शर्तों के तहत चयनित शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। विभागीय संकल्प संख्या–938, दिनांक–22.03.2017 द्वारा चयनित शिक्षकों से कार्य लिये जाने की अवधि का विस्तार 18 माह या नियमित नियुक्ति होने तक, दोनो में जो पहले हो, के लिए किया गया। संकल्प संख्या–2737, दिनांक–01.08.2018 द्वारा 18 माह (दिनांक–14.07.2019 तक), संकल्प संख्या–2553, दिनांक–26.07.2019 के द्वारा एक वर्ष (दिनांक–14.07.2020) या नियमित नियुक्ति होने तक, दोनो में जो पहले हो, के लिए एवं संकल्प संख्या–2725, दिनांक–28.12.2020 के द्वारा दिनांक–14.07.2021 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक दोनों में जो पहले हो, के लिए अवधि विस्तार किया गया है।

2. नियमित नियुक्ति के लिए झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित अधियाचना के क्रम में आयोग से प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु " झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 " में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में अभी भी कम से कम एक वर्ष का समय लगने की संभावना है।

3. चूँकि शिक्षक नियुक्ति में विलम्ब संभावित है, अतः विभागीय संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 के आलोक में उक्त संकल्प में निरूपित नियमों और शर्तो यथा अंशकालीन शिक्षकों से एक सप्ताह में 05 कार्यदिवस एवं प्रति कार्यदिवस अधिकतम 04 घंटी कार्य लेना, एक

17/11/2021

घंटी अध्यापन कार्य के बदले ₹200.00 (दो सौ रू०) मात्र वृतिका भुगतान आदि को यथावत रखते हुए विभिन्न जिलों में Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिये जाने की अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए (दिनांक–14.07.2022 तक) अथवा नियमित नियुक्ति होने तक दोनों में जो पहले हो के लिए किया जाता है।

4. कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु आवासीय विद्यालय बंद रहने एवं पठन–पाठन कार्य नहीं होने के कारण अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन अवधि में अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों को निम्नांकित विवरणी के अनुसार अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र०	अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों द्वारा दिनांक–15. 07.2019 से 21.03.2020 तक की अवधि में ली गयी कक्षाओं की संख्या	लॉकडाउन अवधि के लिए प्रतिमाह भुगतेय अनुग्रह राशि (रू० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
01	> 500	10000.00	स्तंभ–2 में अंकित अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों द्वारा दिनांक–15.07. 2019 से 21.03.2020 तक की अवधि में ली गयी कक्षाओं की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक से प्राप्त करते हुए संबंधित परियोजना निदेशक, ITDA / जिला कल्याण पदाधिकारी / विशिष्ट पदाधिकारी पहाड़िया कल्याण द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रति–परीक्षण के उपरांत सही पाये जाने पर ही स्तंभ–3 के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
02	401 – 500	8000.00	
03	301 – 400	6000.00	
04	201 – 300	4000.00	
05	101 – 200	3000.00	
06	≤ 100	2000.00	

5. लॉकडाउन के उपरांत पठन–पाठन हेतु आवासीय विद्यालय पुनः खुलने के एक माह पूर्व तक उक्त अनुग्रह राशि भुगतेय होगा, अर्थात जिस माह से विद्यालय पठन–पाठन के लिए खोले जाएँगे उस माह से वास्तविक कक्षा के आधार पर वृतिका का भुगतान किया जाएगा। आंशिक रूप से विद्यालय खुलने की स्थिति में पठन–पाठन हेतु जिन अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों से कार्य लिया जाएगा उन्हें वास्तविक कक्षा के आधार पर वृतिका अथवा अनुग्रह राशि दोनों में से जो अधिक हो का भुगतान किया जाएगा। शेष अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों को कंडिका–4 पर अंकित विवरणी के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

6. लॉकडाउन के उपरांत विद्यालय खुलने एवं सुचारू रूप से पठन–पाठन प्रारम्भ होने पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों से 04 (चार) घंटी के अलावा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा पठन–पाठन कार्य कराया जा सकेगा, जिसके लिए उन्हें अलग से

कोई मानदेय देय नहीं होगा। संबंधित परियोजना निदेशक, ITDA/जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सभी अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों से ले लिया जाएगा।

7. इस अवधि विस्तार पर 665.00 लाख रू० (छः करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र का व्यय संभावित है।

(क) उक्त राशि का व्यय भार मांग संख्या– 51 के तहत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शिर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–03–आवासीय विद्यालय, विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते, 08–संविदा भत्ता–51S222501277030108 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ख) मांग संख्या–51–के तहत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–04–आवासीय विद्यालय, विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते, 08–संविदा भत्ता–51S222502277040108 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ग) मांग संख्या–51–के तहत मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–18–पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों का संधारण, विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते,–08–संविदा भत्ता–51S222503277180108 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. इस पर दिनांक–12.11.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–06/12 प्रधाना०स्था०–07/2014 (खण्ड–क)– 2809 राँची, दिनांक–17/11/2021

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को आगामी झारखण्ड गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–06/12 प्रधाना०स्था०–07/2014 (खण्ड–क)– 2809 राँची, दिनांक– 17/11/2021

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० व हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/सभी आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/बजट प्रशाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/2021

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।